


22.05.2024:—आज यह पत्रावली प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी
मे लिया गया। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया।
प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया
कि प्रार्थी ने अपने भाईयो से रास्ता ले लिया है। इसलिए
प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र मे कोई कार्यवाही नही चाहता।
प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज (विद्रा) फरमाया
जावे। प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर उक्त प्रार्थना पत्र पर
सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद
अवलोकन प्रार्थी के फर्द अहकाम पर अगुठा/हस्ताक्षर
करवाये गये। प्रार्थी की पहचान प्रार्थी अधिवक्ता श्री
मदनलाल मूण्ड द्वारा कि गई। प्रार्थी व अप्रार्थी पक्षकारान
का राजीनामा हो जाने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार
किया जाकर उक्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मौजूदा सूरत मे
विद्रा किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर
बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

